...खण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

...: 433/2016

1. शैलेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी रेनगढ तह0 मांगरोल जिला बारां

....वादीगण

♠ बनाम ♠

1. माधोलाल पुत्र कान्हा जाति बैरवा निवासी रेनगढ तहसील मांगरोल हाल निवासी थाने के पास अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2. काली बाई
3. बाबूलाल
4. जानकी लाल
5. छोटूलाल
6. प्रेम बाई

   } पिसरान कान्हा जाति बैरवा निवासीगण रेनगढ तहसील मांगरोल जिला बारां

7. रेवडी लाल पुत्र
8. कलावती बाई पुत्री
9. काली बाई बेवा

   } चून्या उर्फ चुन्नीलाल जाति बैरवा निवासी रेनगढ तहसील मांगरोल हाल निवासी जलोदा खातियान तह0 पीपल्दा जिला कोटा

10. बिस्मिल्ला बेवा
11. ईशाक मोहम्मद पुत्र

   } अजीमुल्ला खां जाति मुसलमान निवासी मांगरोल तह0 मांगरोल जिला बारां

12. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

....प्रतिवादीगण

वाद वास्ते घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 89, 92, 92 ए. 188 आरटी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादीगण : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

वकील प्रतिवादीगण : श्री के0 के0 सोनी

दायरा दिनांक: 22.09.2016

निर्णय दिनांक : 28.03.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वर्तमान में ग्राम रेनगढ तह0 मांगरोल के राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में 4/9 हिस्सा कान्हा पुत्र बदरिया व 2/9 हिस्सा चून्या पुत्र भैरू तथा 1/3 हिस्सा बिस्मिल्ला बेवा अजीमूल्ला, ईशाक मोहम्मद पुत्र अजीमुल्ला के खाते में कुल किता 4 रकबा 2.82 है0

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

[illegible] नं0 239 दिनांक 19.05.2016 से मृतक कान्हा के स्थान पर प्रतिवादी क्रम [illegible] प्रतिवादी क्रम 7 ता 9 के नाम दर्ज कर दिये है। वाद पत्र में आगे कथन [illegible] 2012–13 की जमाबंदी रेनगढ में खसरा नं0 45 रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा खसरा नं0 71 [illegible] 15 बीघा 4 बिस्वा खसरा नं0 122 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा कुल 30 बीघा 13 बिस्वा आराजी भैरू, कान्हा हिस्सा 2/3 अजीमुल्ला हिस्सा 1/3 में दर्ज हो रही है।

उपरोक्त वर्णित आराजी में से भैरू, कान्हा ने अपनी खाते की आराजी खसरा नं0 45 रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा का रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 20.09.1954 को ठाकुर अनार सिंह को कर दिया और ये बेचान शुदा आराजी खसरा नं0 45 रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा अनार सिंह के खाते दर्ज कर दी गई। लेकिन हिस्सा कम नही किया अर्थात पहले की भांती हिस्सा 2/3 रहने दिया जबकि हिस्सा कम होना चाहिए था। आगे कथन किया कि सहखातेदार बिस्मिल्ला बेवा अजीमुल्ला व ईशाक मोहम्मद पुत्र अजीमुल्ला ने अपना 1/3 हिस्सा दिनांक 05.05.1973 को वादी जर्ये वली दादा जगसिंह को रजिस्टर्ड बेचान कर दिया और कब्जा संभला दिया जबसे आज तक वादी हिस्सा 1/3 पर काश्त करता चला आ रहा है। वादी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर पूर्व खातेदार विक्रेता बिस्मिल्ला वगै0 के स्थान पर अपना नाम खाते में दर्ज कराना चाहता है।

वाद पैरोकार न्यायालय से प्रार्थना की कि बिस्मिल्ला बेवा अजीमुल्ला, ईशाक मोहम्मद पुत्र अजीमुल्ला हिस्सा 1/3 के स्थान पर वादी को सहखातेदार घोषित किया जावे। और बेचान शुदा आराजी खसरा नं0 45 रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा का हिस्सा 2/3 में से कम करके पुनः हिस्सा दुरूस्त करके दर्ज किया जावे। क्योकि खसरा नं0 45 रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा आराजी अनार सिंह के खाते में दर्ज हो रही है।

इस आशय की वाद पेश होने पर प्रतिवादीगण को जर्ये रजिस्टर्ड ए0डी सम्मन से तलब किया प्रतिवादी क्रम 1 ता 9 की ओर से वकील के0 के0 सोनी ने वकालत नाम पेश करके वाद पत्र की सभी मद स्वीकार करके विशेष आपत्तियों में कथन किया कि प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 का हिस्सा 4/9 के स्थान पर 40/141 व प्रतिवादी क्रम 7 ता 9 का हिस्सा 2/9 के स्थान पर 20/141 कर दिया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 10 ता 11 का हिस्सा 1/3 के स्थान पर 27/47 कर दिये जाने से प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है। इस प्रकार हिस्सा किये जाने पर अनार सिंह को बेची गयी आराजी का हिस्सा कम हो जावेगा। प्रतिवादी क्रम 10 ता 11 का अखबार में स्याहा कराने के पश्चात भी न्यायालय में कोई उपस्थित नही आने पर दिनांक 23.03.2018 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

... के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गयीः–

... प्रतिवादी क्रम 10 व 11 द्वारा आराजी 1/3 हिस्सा का रजिस्टर्ड बेचान वादी को कर दिए जाने पर उनके हिस्से 1/3 पर वादी अपने आप को खातेदार घोषित कराने का अधिकारी है। (वादी)

02. आया पूर्व खातेदार भैरू, कान्हा ने अपने हिस्से 2/3 में से खसरा नं0 45 रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा आराजी वाके ग्राम रेनगढ का रजिस्टर्ड दिनांक 20.09.1954 को कर दिये जाने से इस रकबे का हिस्सा दर्ज हिस्सा 2/3 में से कम किया जावें। (वादी)

वादी ने स्वयं का शपथ पत्र व पी0डब्ल्यू0 2 अखेराज सिंह का शपथ पत्र साक्ष्य में पेश किया और निम्न दस्तावेज प्रदर्श करवाये:–

प्रदर्शः– 1 – रजिस्टर्ड नोटिस धारा 80 सीपीसी

प्रदर्शः– 2 – जमाबंदी सम्वत 2010–2013 ग्राम रेनगढ खातेदार भैरू कान्हा

प्रदर्शः– 3 – इन्तकाल नं 3 ग्राम रेनगढ

प्रदर्शः– 4 – जमाबंदी सम्वत 2014–2017 ग्राम रेनगढ भैरू, कान्हा वगै0

प्रदर्शः– 5 – जमाबंदी सम्वत 2026–2029 ग्राम रेनगढ

प्रदर्शः– 6 – जमाबंदी सम्वत 2022–2025 ग्राम रेनगढ

प्रदर्शः– 7 – रजिस्टर्ड बेचान बहक वादी शैलेन्द्र सिंह दिनांक 05.05.1975

प्रदर्शः– 8 – इन्तकाल नम्बर 239 ग्राम रेनगढ दि 19.05.2016

प्रदर्शः– 9 – मिलान क्षेत्रफल आराजी हाल खसरा नं0 77, 119, 173, 227

प्रदर्शः– 10 – जमाबंदी सम्वत 2072–2075 ग्राम रेनगढ

प्रदर्शः– 11 – जमाबंदी सम्वत 2072–2075 ग्राम रेनगढ खातेदार अनार सिंह

प्रदर्शः– 12 – रजिस्टर्ड बेचान दि0 20.09.1954 बहस अनार सिंह

प्रदर्शः– 13 – जमाबंदी सम्वत 2018–2021 ग्राम रेनगढ खातेदार अनारसिंह

[illegible] – जमाबंदी सम्वत 2014–2017 ग्राम रेनगढ खातेदार अनारसिंह

प्रदर्श– 15 – जमाबंदी सम्वत 2018–2021 ग्राम रेनगढ खातेदार अनार सिंह

प्रतिवादी क्रम 1 ता 9 के अधिवक्ता को मुताबिक जवाबदावा वाद डिनिम किऐ जाने मे कोई आपत्ति नहीं है वकील वादी की बहस सुनी गई प्रस्तुत दस्तावेजो का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

तनकी नं0 1 व तनकी नं0 2 को साबित करने का भार वादी पर है शब्दो को बार–बार नही लिखना पडे इसलिए तनकी नम्बर 1 व तनकी नं0 2 का निर्णय एक साथ दिया जा रहा है।

तनकी नं0 1 व तनकी नं0 2:– वकील वादी ने बहस करते हुऐ न्यायालय का ध्यान प्रदर्श– 2 राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत 2010–2013 की ओर दिलाया जिसमें भैरू, कान्हा हिस्सा 2/3 व अजीमुल्ला हिस्सा 1/3 इसके खसरा नं0 45 रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा आराजी दर्ज हो रही है, वकील वादी नं बताया कि प्रदर्श 12 रजिस्टर्ड बेचान नामा दि0 20.09.1954 से खसरा नं0 45 रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा का बेचान केता अनार सिंह को कर दिया इसलिए प्रदर्श 3 इन्तकाल नं0 25 से खसरा नं0 45 की आराजी अनार सिंह के खाते में दर्ज कर दी गई, इसीलिए प्रदर्श–14 प्रदर्श 13, प्रदर्श 15, प्रदर्श–11 जमाबंदी में खसरा नं0 45 रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा आराजी अनार सिंह पुत्र रतनसिंह के खाते दर्ज हो रही है। खसरा नं0 45 के हाल खसरा नं0 119 रकबा 2.04 है0 वर्तमान जमाबंदी प्रदर्श 11 में अनार सिंह के खाते में दर्ज हो रही है। वकील वादी ने बहस में बताया कि आराजी खसरा नं0 45 रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा का बेचान करने पर ये खसरा नं0 प्रतिवादी के खाते में से खारिज कर दिया इसलिए राजस्व रेकार्ड जमांबदी प्रदर्श 4 ता प्रदर्श 6 तथा प्रदर्श 10 में बेचान शुदा खसरा नं0 45 दर्ज नही है।

प्रदर्श 7 रजिस्टर्ड बेचान बहक वादी शैलेन्द्र सिंह है। जिसमें 1/3 हिस्सा खातेदार बिस्मिल्ला बेवा अजीमुल्ला व ईशाक मोहम्मद पुत्र अजीमुल्ला ने शैलेन्द्र सिंह वादी को बेचान करके कब्जा सम्भला दिया है। लेकिन रजिस्टर्ड बेचान नामा का अमल राजस्व रेकार्ड में नही हुआ है। और अभी भी खाते में पूर्व खाते दार बिस्मिल्ला वगै0 का नाम 1/3 हिस्से में चला आ रहा है। गवाह पी0 डब्ल्यू 2 अखैराज सिंह ने अपने बयानो में कहा कि पूर्व खातेदार बिस्मिल्ला बाई वगै0 ने अपने हिस्से 1/3 का रजिस्टर्ड बेचान वादी को कर दिया है। और बेचान के बाद से ही वादी लगातार काश्त करता चला आ रहा है। वैसे भी प्रतिवादी क्रम 10 व 11 की और से कोई आपत्ति नही है। तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 9 को भी शैलेन्द्र सिंह वादी का नाम 1/3 हिस्से पर दर्ज किये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

न्यायालय के मत में खसरा नं0 45 रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा का रजिस्टर्ड बेचान अनार सिंह को सन 1954 में ही किया जा चुका है। और बेचान शुदा आराजी अनारसिंह के खाते में दर्ज है। इसलिए

[illegible] किता का जितना हिस्सा बनता है। उतना हिस्सा कम करके प्रतिवादीगण [illegible] न्यायोचित प्रतीत होता है। इसमें किसी भी प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है।

[illegible] बयान के आधार पर वादी ने आराजी पूर्व खातेदार से उसका हिस्सा 1/3 खरीद किया है। जिसकी वादी ही काश्त कर रहा है। इसलिए पूर्व खातेदार बिस्मिल्ला बेवा अजीमुल्ला, ईशाक मोहम्मद पुत्र अजीमुल्ला के स्थान पर शैलेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह को खातेदार बनाया जाना न्याय संगत होगा। इसमें भी प्रतिवादीगण को काई आपत्ती नही है। तनकी नं0 1 व 2 का निर्णय वादी के पक्ष में व विरूद्ध प्रतिवादीगण किया जाता है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबंदी ग्राम रेनगढ तहसील मांगरोल की खाता संख्या नया 14 पुराना 13 में दर्ज नाम बिस्मिल्ला बाई बेवा अजीमुल्ला खां ईशाक मोहम्मद पुत्र अजीमुल्ला खां हिस्सा 1/3 के स्थान पर हिस्सा 27/47 शैलेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत के नाम दर्ज किया जाकर खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी कम 1 ता 6 कमशः माधोलाल, बाबूलाल, जानकीलाल, छोटूलाल पुत्रान काली बाई प्रेम बाई पुत्रियां कान्हा हिस्सा 4/9 के स्थान पर हिस्सा 40/141 व प्रतिवादी कम 7 ता 9 रेवडीलाल पुत्र कलावती बाई पुत्री काली बाई पत्नि चून्या हिस्सा 2/9 के स्थान पर हिस्सा 20/141 किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया ग